सहायक कलक्टर (फास्ट्रेक)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

02/7/25 पत्रावली पेश/ वकील पक्षकार उपस्थित
वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत
निर्णय पृथक से लिख मय पत्रावली शामिल
पत्रावली फैसला मुताबिक डिक्री तैयार हो बाद
पत्रावली जमा लेख नम्बर के शामिल हो

सहायक कलक्टर (फास्ट्रेक)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
66/21	26.02.2021	27.06.2025

02/07/25

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

बउनवान

1. मामचन्द पुत्र मोतूराम (फौत)
1/1 प्रताप पुत्र मामचन्द (मृतक)
1/1/1 पांचुराम पुत्र प्रताप
1/1/2 रामपाल पुत्र प्रताप
1/1/3 चिड़िया देवी पत्नी प्रताप
1/1/4 ललिता देवी पुत्री प्रताप
1/1/5 सरिता देवी पुत्री प्रताप
1/1/6 खुशवंत पुत्र प्रताप
1/1/7 तनुबाई पुत्री प्रताप
1/2 प्रकाश देवी पुत्र मामचन्द
1/3 बतो देवी पुत्री मामचन्द
1/4 मिश्री देवी पत्नी मामचन्द

:— वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मुण्डावर
2. उप पंजियक महोदय मुण्डावर
3. इन्द्रर पुत्र बल्ला (फौत)

3/1 रामजीलाल पुत्र सूरजी पुत्र इन्द्र जाति गुर्जर निवासी किशोरपुरा की ढाणी तह0 बानसूर
3/2 बनवारी पुत्र सूरजी (मृतक)
3/2/1 लक्खाराम पुत्र बनवारी
3/2/2 हवासिंह पुत्र बनवारी जाति गुर्जर निवासी किशोरपुरा तह0 बानसूर
3/3 महावीर पुत्र सूरजी
3/4 ताराचन्द पुत्र सूरजी
3/5 पतासी पुत्री सूरजी
3/6 श्योबाई पुत्र सूरजी जाति गुर्जर निवासी किशोरपुरा की ढाणी तह0 बानसूर

4. श्योसहाय पुत्र बल्ला (फौत)

4/1 चादबाई पुत्री श्योसहाय नि0 भूतपरी बबेडी तह0 बानसूर

5. भोलाराम
6. बंशीराम

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

7. रामेश्वर पुत्रान हेता
8. हंसराज
9. जयनारायण
10. रामकरण पुत्रान श्योनारायण
11. लक्खीराम पुत्र गणेशा
12. भम्भु
13. ग़ुगन पुत्रान सूरजा
14. श्योपाल पुत्र श्योलाल पुत्र सुलतान (फौत)
14/1 रामशरण दत्तक पुत्र श्योपाल निवासी रायली तह0 बानसूर
14/2 सूरजा पुत्र श्योपाल निवासी गोपालपुरा तह0 कोटपुतली
14/3 मुशी पुत्र सिबली पुत्री श्योपाल
14/4 लाली पुत्र सिबली नि0 गोपाल पुरा तह0 कोटपूतली
15. रामेश्वर पुत्रान ठाकरसी
16. जयराम
17. श्रीराम पुत्रान चन्दर जाति गुर्जर निवासी रायली तह0 बानसूर

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री पृथ्वीसिंह यादव :– वकील वादी

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 751/2 है0, 750/0.21 है0, 752 रकबा 1.24 है0, 754/0.70 है0, 755/0.39 है0, 756/0.27 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.84 है0 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर में स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी।
2. यह है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 750/18 बिस्वा 0.21 है0 एवं खसरा नम्बर 751 रकबा 2.10 है0 जो साबिक खसरा नम्बर 440 मिन से बते है तथा खसरा नम्बर 752/1.24 है, 754/0.70, 755/0.32, 756/0.27 है0 जो साबिक खसरा नम्बर 441 मिन से बने है। मुलहिजा हेतु जमाबन्दी सम्वत 2062–65, जमाबन्दी सम्वत 2016, जमाबन्दी 1999 तथा मिलान क्षेत्रफल 2029 दावा हाजा के साथ संलग्न है। मिन वादी का दादा बेगराज के जीवन काल व उससे पूर्व से ही विवादित आराजी है। एंव उक्त आराजी में मिन वादी के पूर्वजो का (1 बैल) यानि 8 बैलो में से 1 बैल हिस्सा था। दादा बेगराज एवं उसके बाद हमारे परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

बेगराज पुत्र जालमा

मोठूराम

|

मामचन्द

3. यह है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान वादी की दादालाई एवं पैत्रिक भूमि है जो पूर्वजो के समय से ही अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जे काश्त में है। विवादित आराजी के सामलाती भाग 8 बैल में से वादी के दादा बेगराज पुत्र जालमा का 1/8 हिस्सा यानि 1 बैल था जिसके लिये सं0 1999 की जमाबन्दी दावा हाजा के साथ संलग्न है। लेकिन सम्वत 2010 में राजस्व कर्मचारियो प्रवितादी 1 व 2 द्वारा जमाबन्दी बनाते समय वादी के पिता मोठूराम पुत्र बेगराज का नाम व हिस्सा जमाबन्दी में अंकन करने से छूट गया। जो खिलाफ मौका व कानून है जो उसी प्रकार बाद में चलता आ रहा है। जबकी राजस्व कर्मचारियो को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है और मिन वादी अपने दादालाई प्रोपर्टी में बाई बर्थ अधिकारा निहित है और अपनी दादालाई प्रापेर्टी में आई राजस्व रिकोर्ड में गलती कुल आठ हिस्सा (8 बैल) में से अपने हिस्सा का अंकन कराने व दुरूस्त कराने का अधिकारी है। इसलिये अपने अधिकारो की रक्षार्थ दावा इश्तकाररहक मय दुरूस्ती पेश करना लाजिमी आया है।

4. यह है कि विवादित आराजी बहुत समय पहले हम वादी के एक ही बुजर्ग के नाम थी चूंकी परिवार बढता गया आराजी का विभाजन होता गया और मिन वादी के दादा बेगराज के समय विवादित आरजाी कुल 8 भागो यानि 8 बैल में विभाजित थी और उसमें से 1 बैल मिन वादी के दादा बैगराज पुत्र जालमा के नाम दर्ज है जो सम्वत 2010 में जमाबन्दी बनाते समय प्रतिवादी संख्या 01 व 2 के अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियो ने स्वंय त्रृटि से या अन्य लोगो से साज बाज होकर मिन वादी के पिता व दादा का नाम व हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज करने से छोड दिया जबकी अन्य खातेदारो की तरह मिन वादी के पिता व दादा का नाम भरी दर्ज होना चाहिये था इस तथ्य की जानकारी मिन वादी को मिली तो मिन वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 17 तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 से मिलकर प्रार्थना पत्र की कि मिन वादी की भूमि हाल खसरा नम्बर 750, 751, 752, 752, 754, 755, 756 बाबत राजस्व रिकोर्ड मं आई त्रटि को सही किया जावे लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने उक्त कार्य के लिये असमर्थता जाहिर की तथा प्रतिवादी 3 लगायत 17 उक्त गलत अंकन की आड मे मिन वादी को उसकी दादालाई प्रोपटी से बेदखल करना चाहते है। यदी प्रतिवादीगण अपे नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन वादी को अजहद क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार रूपयो में नही आकि जा सकेगी। अपने अधिकारो से महरूम होना पडेगा इसलिये अपने अधिकारो की रक्षार्थ वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हु0 ई0 दवामी पाबन्द कराने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाई जावें कि :—

(अ) यह है कि डिक्री इश्तकार पारित की जावे कि हाल आराजी खसरा नम्बर 750/0.21, 751/2.10 है0 जिसका साबिक नम्बर 440 मिन तथा 752/124, 754/0.70, 755/0.32, 756/0.27 है0 साबिक नम्बर 441 में से 1/8 भाग यानि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 1999 में वादी का कुल 8 बैल मे से 1 बैल दर्ज है इसी प्रकार राजस्व रिकोर्ड हाल जमाबन्दी में समस्त खसरा नम्बर विवादित उक्त में 1/8 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकोर्ड किया जावे एंव इसी कदर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दर्ज राजस्व रिकोर्ड किया जावें इसी कदर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दर्ज किया जावें।

(ब) यह है कि जरये हु0ई0 दवामी प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें की वो वादी को 1/8 भाग से जबरन बेदख लना करे ना ही कब्जा करे, ना काश्त कार्य में बाधा डाले, ना रहन बैय से मुन्तकिल करे ना कोई दस्तावेजात को पंजीबद्व करे।

(स) दीगर दादरसी

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित नही आये जिसके कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श – 1 सम्वत 2062–65, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2062–65, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2062–65, प्रदर्श–4 नकल मिलान क्षेत्रफल मौजा शामदा सम्वत 2029, प्रदर्श–5 नकल नामान्तरण संख्या 1434 वाके ग्राम मौजा शामदा, प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी सम्वत 1999 वाके ग्राम शामदा, प्रदर्श–7 नकल जमाबन्दी सम्वत 2016–17 पेश की T।

वादी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 751/2 है0, 750/0.21 है0, 752 रकबा 1.24 है0, 754/0.70 है0, 755/0.39 है0, 756/0.27 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.84 है0 वाके ग्राम शामद्रा तहसील मुण्डावर में स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 750/18 बिस्वा 0.21 है0 एवं खसरा नम्बर 751 रकबा 2.10 है0 जो साबिक खसरा नम्बर 440 मिन से बते है तथा खसरा नम्बर 752/1.24 है, 754/0.70, 755/0.32, 756/0.27 है0 जो साबिक खसरा नम्बर 441 मिन से बने है। विवादित आराजी खसरा नम्बरान वादी की दादालाई एवं पैत्रिक भूमि है जो पूर्वजो के समय से ही अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जे काश्त में है। विवादित

सहायक कलक्टर (फा0टै0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

आराजी के सामलाती भाग 8 बैल में से वादी के दादा बेगराज पुत्र जालमा का 1/8 हिस्सा यानि 1 बैल था जिसके लिये सं0 1999 की जमाबन्दी दावा हाजा के साथ संलग्न है। लेकिन सम्वत 2010 में राजस्व कर्मचारियो प्रतिवादी 1 व 2 द्वारा जमाबन्दी बनाते समय वादी के पिता मोटूराम पुत्र बेगराज का नाम व हिस्सा जमाबन्दी में अंकन करने से छूट गया। जो खिलाफ मौका व कानून है जो उसी प्रकार बाद में चलता आ रहा है। जबकी राजस्व कर्मचारियो को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है और मिन वादी अपने दादालाई प्रोपर्टी में बाई बर्थ अधिकारा निहित है और अपनी दादालाई प्रापेर्टी में आई राजस्व रिकोर्ड में गलती कुल आठ हिस्सा (8 बैल) में से अपने हिस्सा का अंकन कराने व दुरूस्त कराने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद को स्वीकार किया जाकर मुताबिक अनुतोष राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

पत्रावली, वादी के वाद के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रदर्श–6 व प्रदर्श–7 में वादीगण के दादा बेगराज पुत्र जालमा के कुल 8 बैल में से 1 बैल दर्ज है। जिसके पश्चात राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दीयात में पुर्वजो का नाम व हिस्सा दर्ज करना छुट गया। जो आज दिनांक तक बदस्तुर चल रहा है। राजस्व विभाग द्वारा वादीगण का हिस्से को परिवर्तित कर दर्ज कर दिया गया जो न्याय उचित नही है क्योकि सैटलमेन्ट के अधिकारी/कर्मचारियो के पास ऐसा कोई विशेष हक अधिकार नही थे कि राजस्व रिकोर्ड में अंकित पूर्व प्रवृटि के किसी काश्तकार के हक हिस्से को परिवर्तित कर सके। इसलिए वादी का वाद स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

वाद वादी के उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार कियां जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर 750/0.21, 751/2.10, 752/1.24, 754/0.70, 755 रकबा 0.32, 756/0.27 है0 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादीगण को 1/8 सम्भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी में वादी के हिस्से तक अंकित प्रतिवादीगण को नाम कलमजन किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

02/07/25

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बत्रा)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

आदेश दिनांक 28/8/25 के अनुसार वादी नं0 1/1/1 पांचुराम पुत्र प्रताप व वादी नं0 1/1/2 रामेश्वर पुत्र प्रताप के स्थान पर वादी नं0 1/1/1 पांचुराम पुत्र मामचन्द व वादी नं0 1/1/2 रामेश्वर पुत्र मामचन्द पढ़ा जावे। निर्णय दिनांक 27/6/25 व 26/5/25 के स्थान पर 02/07/25 पढ़ा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
66/21	26.02.2021	27.06.2025 02/07/25

बउनवान

1. मामचन्द पुत्र मोतूराम (फौत)

1/1 प्रताप पुत्र मामचन्द (मृतक)

1/1/1 पांचुराम पुत्र प्रताप

1/1/2 रामपाल पुत्र प्रताप

1/1/3 चिडिया देवी पत्नी प्रताप

1/1/4 ललिता देवी पुत्री प्रताप

1/1/5 सरिता देवी पुत्री प्रताप

1/1/6 खुशवंत पुत्र प्रताप

1/1/7 तनुबाई पुत्री प्रताप

1/2 प्रकाश देवी पुत्र मामचन्द

1/3 बतो देवी पुत्री मामचन्द

1/4 मिंश्री देवी पत्नी मामचन्द

:– वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मुण्डावर
2. उप पंजियक महोदय मुण्डावर
3. इन्द्रर पुत्र बल्ला (फौत)

3/1 रामजीलाल पुत्र सूरजी पुत्र इन्द्र जाति गुर्जर निवासी किशोरपुरा की ढाणी तह0 बानसूर

3/2 बनवारी पुत्र सूरजी (मृतक)

3/2/1 लक्खाराम पुत्र बनवारी

3/2/2 हवासिंह पुत्र बनवारी जाति गुर्जर निवासी किशोरपुरा तह0 बानसूर

3/3 महावीर पुत्र सूरजी

3/4 तांराचन्द पुत्र सूरजी

3/5 पतासी पुत्री सूरजी

3/6 श्योबाई पुत्र सूरजी जाति गुर्जर निवासी किशोरपुरा की ढाणी तह0 बानसूर

4. श्योसहाय पुत्र बल्ला (फौत)

4/1 चादबाई पुत्री श्योसहाय नि0 भूतपरी बबेडी तह0 बानसूर

5. भोलाराम
6. बंशीराम

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्ड़ावर (खैरथल-तिजारा)

7. रामेश्वर पुत्रान हेता
8. हंसराज
9. जयनारायण
10. रामकरण पुत्रान श्योनारायण
11. लक्खीराम पुत्र गणेशा
12. भम्भु
13. मगन, पुत्रान सूरजा
14. श्योपाल पुत्र श्योलाल पुत्र सुलतान (फौत)
14/1 रामशरण दत्तक पुत्र श्योपाल निवासी रायली तह0 बानसूर
14/2 सूरजा पुत्र श्योपाल निवासी गोपालपुरा तह0 कोटपुतली
14/3 मुशी पुत्र सिबली पुत्री श्योपाल
14/4 लाली पुत्र सिबली नि0 गोपाल पुरा तह0 कोटपूतली
15. रामेश्वर पुत्रान ठाकरसी
16. जयराम
17. श्रीराम पुत्रान चन्दर जाति गुर्जर निवासी रायली तह0 बानसूर

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री पृथ्वीसिंह यादव एडवोकट व** प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 27.06.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :–**

आराजी खसरा नम्बर 750/0.21, 751/2.10, 752/1.24, 754/0.70, 755 रकबा 0.32, 756/0.27 है0 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादीगण को 1/8 सम्भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी में वादी के हिस्से तक अंकित प्रतिवादीगण को नाम कलमजन किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। 02/07/25

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

आदेश दिनांक 20/8/25 के अनुसार वादी सं0 1/1/1 पांचुराम पुत्र छगन व वादी सं0 1/1/2 रामपाल पुत्र छगन के स्थान पर वादी सं0 1/1/1 पांचुराम पुत्र मामचन्द व वादी सं0 1/1/2 रामपाल पुत्र मामचन्द पढ़ा जावे। पर्चा डिक्री दिनांक 27/6/25 व 17/6/25 के स्थान पर दिनांक 02/07/25 पढ़ा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)